

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई 2017—श्रावण 5, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017

एफ ए-3-25-2017-1-पांच (79)

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 03 की उपधारा (4) एवं धारा 03-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित उपायुक्त, वाणिज्यिक कर को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है। यह दायित्व उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त होगा।

सारणी

अ.क्र.	उपायुक्त का नाम एवं पदस्थापना	क्षेत्र
01	02	03
01	श्री पी. के. सिंह उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, भोपाल, म.प्र.	ग्वालियर संभाग-01 एवं 02

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण परमार, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3-25/2017/1/पांच

भोपाल, दिनांक 27/07/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-25/2017/1/पांच (79), दिनांक 27 जुलाई, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 27 July 2017

FA3-25-2017-1-V-79.—

In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 03 and Section 3-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, appoints Deputy Commissioner, Commercial Tax, mentioned in column (2) of the table below as Appellate Authority for the area specified in column (3) This responsibility shall be in addition to his present responsibilities.

TABLE

S.No.	Name and present posting of Deputy Commissioner	Area
01	02	03
01	Shri P. K. Singh Deputy Commissioner, Commercial Tax, Bhopal Zone, M.P.	Gwalior Division - 01 & 02

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy Secy.